रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2979] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939
No. 2979] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3400(अ).—यतः कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 247 की उपधारा (1) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) में उपबंध है कि जहां किसी संपत्ति, स्टाक, शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों या गुडविल या अन्य आस्तियों या कंपनी के निवल मूल्य या इसकी देयताओं का मूल्यांकन किया जाना है, उसका मूल्यांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो और वह एक मूल्यांकक के रूप में ऐसी और निबंधनों पर रजिस्ट्रीकृत हो जो विहित किए जाएं तथा लेखापरीक्षा समिति द्वारा और इसकी अनुपस्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त हो। धारा 247 की उपधारा (2) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के कार्यों और कर्तव्यों का उपबंध करती है। उक्त धारा की उप धारा (3) और (4) में मूल्यांकन के लिए दंड एवं देयताओं का उपबंध है।

और यतः, इस तथ्य को देखते हुए कठिनाई उत्पन्न हुई है कि कई अलग-अलग संगठन जो भूमि और भवन, मशीनरी और संयंत्र में व्यवहार करते हैं, के पास मूल्यांकन के लिए अलग-अलग मूल्यांकक है;

और यतः, इन विभिन्न संगठनों को मान्यता नहीं दी जाती, यहां केंद्रीय सरकार के साथ सीधे उनको रजिस्ट्रीकृत करने के लिए मूल्यांककों के लिए आवश्यक स्तर का विनिमय सुनिश्चित करना कठिन होगा और इसके आगे इन संगठनों में आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रचलित आचरणों के अलग मानकों को पहचानना भी आवश्यक है जिससे उल्लिखित धारा के अंतर्गत मूल्यांककों का पंजीकरण करने के लिए मूल्यांकन मापदंडों में सुधार किया जा सके;

और यतः, यद्यपि उक्त धारा में उपबंध है कि मूल्यांकन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो और मूल्यांकक के रूप में ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर रजिस्ट्रीकृत हो, जैसी विहित की जाएं, और इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है और किसी ऐसे संगठन का कोई संदर्भ नहीं होने की कठिनाई को हटा दे जिससे मूल्यांकक संबंधित हो;

अतः अब केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश उपरोक्त कठिनाइयां दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश 2017 होगा।

(2) यह अक्तूबर, 2017 की 23 तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 की उपधारा (1) में "एक व्यक्ति जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हों और मूल्यांकक के रूप में ऐसी रीति से ऐसे निबंधन और शर्तों पर पंजीकृत हो, जैसी विहित की जाएं" शब्दों के स्थान पर शब्द "एक व्यक्ति जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो और मान्यता प्राप्त संगठन का सदस्य हो ऐसे तरीके और ऐसी निबंधन और शर्तो पर, जो विहित की जाएं" रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/27/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2017

S.O. 3400.(E).—Whereas, sub-section (1) of section 247 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereafter referred to as the said Act) provides that where a valuation is required to be made in respect of any property, stocks, shares, debentures, securities or goodwill or any other assets or net worth of a company or its liabilities, it shall be valued by a person having such qualifications and experience and registered as a valuer in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed and appointed by the audit committee or in its absence by the Board of Directors of that company. Sub-section (2) of section 247 provides for the functions and duties of registered valuers. Sub-sections (3) and (4) of said section provide for the punishment and the liability of the valuers;

And, whereas, a difficulty has arisen in view of the fact that there are a number of different organisations dealing with various, distinct group of assets, such as land and building, machinery and equipment, having separate set of valuers for valuation;

And, whereas, unless these different organisations are recognised, it would be difficult to ensure the required level of regulation for the valuers by registering them directly with the Central Government and further, it is necessary to recognise the varying standards of internal procedures and conduct practiced in these organisations to improve the standards in valuations in order to register the valuers under the said section;

And, whereas, although the said section provides for valuation to be made by a person having such qualifications and experience and registered as a valuer in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed, there is a need to provide clarity and remove the difficulty of having no reference to an organisation to which the valuer may belong;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2017.

(2) It shall come into force from the 23rd day of October, 2017.

2. In the Companies Act, 2013, in section 247, in sub-section (1), for the words "a person having such qualifications and experience and registered as a valuer in such manner, on such terms and conditions as may

be prescribed", the words "a person having such qualifications and experience, registered as a valuer and being a member of an organisation recognised, in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed" shall be substituted.

[F.No. 1/27/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.